


नम्बर व  
अहकाम जो  
इस ड.एम.की  
तामील में जारी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>कुमारी प्रिया बनाम नेमप्रताप सिंह</b> <b>179/14 (आरसीएमएस नं.2014/00019)</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29.05.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट उपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं तत्पश्चात् प्रकरण में पुनः रूक-रूककर कई बार आवाज दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2014 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट को पूर्व में अंतिम अवसर भी दिया गया है उसके उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित नहीं है तथा अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (के.सी.शर्मा) संभारणीय अहकाम जयपुर</p>	